न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/168/2019	2019/00503	26/11/2019	28.11.2022

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा रीको चौक भिवाडी, जिला अलवर (राजस्थान)।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती इंदू पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवासी मकान नं0 1594 सुशांत लोक, फेज—1, गुरूग्राम हरियाणा—122001

अन्य पतेः—

(1) फ्लेट नं0 1275 मारूति विहार चक्करपुर, गुरूग्राम, हरियाणा—122002
(2) मै0 दामिनी ब्युटी पार्लर जी—एफ—31, व्यापार केन्द्र सुशांत लोक—1 गुरूग्राम, हरियाणा।
(3) फ्लेट नं0 आर 1/101 ब्लॉक नं0 रोज आर 1 प्रथम मंजिल किष सिटी—II, अलवर भिवाड़ी बाईपास रोड़ टपुकडा, तहसील तिजारा भिवाडी अलवर (राजस्थान)—301019
(4) मकान नं0 2419 सुशान्त लोक—प्रथम, गुरूग्राम, हरियाणा—122001
(5) 1343 मारूति विहार, चक्करपुर, गुरूग्राम, हरियाणा—122001
(6) 1535, मारूति विहार, चक्करपुर, गुरूग्राम, हरियाणा—122001

3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्राणनाथ सुदन निवासी 93, सेक्टर—17, गुरूग्राम, हरियाणा—122001

(1) एफ—451, प्रथम मंजिल, सुशान्त लोक—द्वितीय, गुरूग्राम, हरियाणा—122002
(2) एफ—451, जी/एफ, सुशान्त लोक—द्वितीय, गुरूग्राम, हरियाणा—122002
(3) बी—94, व्यापार केन्द्र, सुशान्त लोक—द्वितीय, गुरूग्राम, हरियाणा—122002
(4) बी—102, व्यापार केन्द्र, सुशान्त लोक—द्वितीय, गुरूग्राम, हरियाणा—122002
(5) जी एफ—30, व्यापार केन्द्र, सुशान्त लोक—द्वितीय, गुरूग्राम, हरियाणा
(6) मकान नं0 593, हारूसिंग बोर्ड कॉलोनी, ग्राम—सुखराली, गुरूग्राम, हरियाणा—122002

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 10,00,000/—रूपये (Rupees Ten Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 31.05.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 8,74,999/—(Rupees Eight Lakh Seventy Four Thousand Nine Hundred Ninety Nine Rupees Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति ***"फ्लेट नं0 आर 1/101 ब्लॉक नं0 रोज आर—1, प्रथम मंजिल, "किष सिटी" अलवर—भिवाड़ी बाईपास रोड़, टपुकडा, तहसील—तिजारा, (राज0)—301019 में स्थित"*** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2018 नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त *"फ्लेट नं0 आर 1/101 ब्लॉक नं0 रोज आर–1, प्रथम मंजिल, "किष सिटी" अलवर–भिवाड़ी बाईपास रोड़, टपुकडा, तहसील–तिजारा, (राज0)–301019 में स्थित"* को दिनांक 31.05.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर